

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, सी-स्कीम जयपुर

क्रमांक : एफ.2(घ)(541)आरएमएस/जॉच/डीएलबी/2025/2476 दिनांक : 18-12-25

:: आदेश ::

राजस्थान नगर पालिका सेवा के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवम् अपील) नियम 1958 के नियम 16 अथवा नियम 17 में अनुशासनात्मक कार्यवाही व्यक्तिगत सुनवाई में विचाराधीन/प्रक्रियाधीन है, को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश जारी होने के उपरान्त समस्त कार्यवाही वीडियो कान्फ्रेंसिंग/वेबिनार के माध्यम से की जावेगी।

सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को विशिष्ट रूप से निदेशालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देशित किये जाने पर ही वे निदेशालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो सकेंगे।


(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक

क्रमांक : एफ.2(घ)(541)आरएमएस/जॉच/डीएलबी/2025/2476-80 दिनांक : 18-12-25

01. समस्त आयुक्त/अधिक्षापी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकाये, राजस्थान।
02. समस्त अधिकारीगण निदेशालय।
03. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
04. संयुक्त निदेशक (एनलिस्ट कम प्रोग्रामर) निदेशालय को वेबसाईट पर प्रकाशन व अग्रिम कार्यवाही हेतु।


(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक